संख्या:-3073 /उन्तीस/04-2(50पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1-प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

2 मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः 03 जनवरी 2005

विषय अभावग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वर्ष 2004-05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के कार्यालय पत्राक 3842/मुख्य मंत्री/ दिनाक-20.10.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में संलग्न विवरणानुसार 2000 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त अनु0 लागत रू0 3766.00 लाख के प्राक्कलन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 3369.50 लाख (रू0 तैतीस करोड़ उन्हत्तर लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम को रू0 600.00 लाख (रू0 छः करोड़ मात्र) तथा उत्तरांचल जल संस्थान को रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) अर्थात कुल रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर संलग्न बी0एम0-15 में दिये गये विवरणानुसार पुर्नविनियोजन के माध्यम से रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

क्रमश..2.

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/उत्तराचंल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय की जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जायेगा ।

(10) स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर सैन्टेज व्यय कुल लागत के सापेक्ष 12.5 प्रतिशन से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इसका कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि 12.5 प्रतिशत से अधिक सैन्टेज व्यय लिया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होंगा।

2 प्रस्तर–1 में उत्तरांचल पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान को स्वीकृत धनराशि का आहरण कमशः प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम एवं मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून स्थित कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेंगा। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार दो अथवा तीन किश्तों में ही किया जायेगा तथा आहरण के तुरन्त बाद बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को उपलबध कराई जायेंगी।

3 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थानो का चयन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा तथा ऐसे स्थानों पर ही हैण्डपम्प अधिष्ठापन करने हेतु प्राथमिकता दी जायेंगी जहॉ पर पेयजल का अभाव है तथा वास्तविक रूप से जनता को पेयजल का लाभ प्राप्त हो सके।

4 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कमश..3.

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निगम/संस्थान के अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर के अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–91–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2236/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 3093 (1)/उन्तीस/04–2(50पे0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराचंल देहरादून ।
2– मुख्य अभियन्ता ,उत्तराचंल पेयजल निगम,पौड़ी/नैनीताल
3– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5– महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,पौड़ी/नैनीताल ।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ट ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

शासनोदश संख्या 3093 / उन्तीस / 04–2(50पे0) / 2004 दिनांक 03 जनवरी 2005
का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	जिला		स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	प्रति हैण्डपम्प की लागत	कुल लागत सैन्टेज सहित	अवमुक्त की जा रही धनराशि
	उत्तरांचल पेयजल निगम					
1	देहरादून	पर्व0 क्षेत्र	100	2.13	213.00	50.00
		मैदानी क्षेत्र	450	1.06	477.00	130.00
2	पौड़ी		200	2.13	426.00	125.00
3	रूद्रप्रयाग		50	2.13	106.50	50.00
4	अल्मोडा		150	2.13	319.50	100.00
5	नैनीताल	पर्व क्षेत्र	100	2.13	213.00	50.00
		मैदानी क्षेत्र	150	1.59	238.50	55.00
6	उधमसिंहनगर	रिंग बोंरिग	50	1.06	53.00	25.00
		हैण्ड बोंरिग	150	0.30	45.00	15.00
		योगः–	1400		2091.50	600.00
	उत्तरांचल जल संस्थान					
1	चमोली		75	2.13	159.75	50.00
2	टिहरी		150	2.13	319.50	120.00
3	उत्तरकाशी		125	2.13	266.25	70.00
4	पिथौरागढ़		100	2.13	213.00	60.00
5	चम्पावत		100	2.13	213.00	50.00
6	बागेश्वर		50	2.13	106.50	50.00
		योगः–	600		1278.00	400.00
		महा योगः–	2000		3369.50	1000.00

(रू0 दस करोड़ मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

आयोजनागत

बी0 एम0-15 पुनर्विनियोग 2004-05

नियन्त्रक अधिकारी- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम/मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
प्रशासनिक विभाग- पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।

(रू0 हजार में)

अनुदान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार आयोजनेत्तर व्यय	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-आयोजनागत 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 05-सेक्टर रिफार्म पाइलट प्रोजेक्ट (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 14,18,31	-	-	141831(क)	2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-आयोजनागत 101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 05-नगरीय पेयजल 91-हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00,00(ख)	12,12,72	4,18,31	क) केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण। (ख) अतिरिक्त प्लान आउटले प्राप्त होने एवं आवश्यकता होने के कारण।
योग- 14,18,31	-	-	141831	10,00,00	12,12,72	4,18,31	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या 2236 (क)/ वित्त अनु0-3/2004
देहरादून दिनांक 2-5 दिसम्बर, 2004

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 3093 (2)/उन्तीस/04-2(50पे0)/2004 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1 कोषाधिकारी, देहरादून। 2 वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल।
3 जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से
(कुंवर सिंह)
अपर सचिव